

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

तहसीलदार, धोद

बनाम

गिरव सिंह उग्र

किस्म मुकदमा

पु.नं. 320

वर्ष 2025

पु.नं. 320 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
18/8/25	<p>प्रकरण में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1433 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम भैरूपुरा पटवार मण्डल पूर्णपुरा भू.अ.नि. वृत्त सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 201 व 202 में प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है।</p> <p>सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। उक्त रास्ता सार्वजनिक व प्रचलित रास्ता है। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त सिंगरावट की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम भैरूपुरा पटवार मण्डल पूर्णपुरा भू.अ.नि. वृत्त सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 201 व 202 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।</p> <p>सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। प्रस्ताव पर खातेदारान की सहमति बाबत हस्ताक्षर अंकित है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1433 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर कियों जावें।</p> <p>अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद</p>



उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोव जिला - सीकर

तहसीलदार, धोव ..... बनाम ..... शिवराम सिंह सिंह माली  
किस्म मुकदमा ..... प्र.पं. अ.ए. 131, 132, 133 मु.नं. 320 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	<p>के पत्रांक: भू.अ./2025/1433 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम भैरूपुरा पटवार मण्डल पूर्णपुरा भू.अ.नि. वृत्त सिंगरावट तहसील धोव जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 201 व 202 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोव के पत्रांक: भू.अ./2025/1433 दिनांक 17.07.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोव को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी  
धोव जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी  
धोव जिला-सीकर

सीकर

“पण्डित वीनदयाल उपाध्याय,  
अन्वोधय रायल पखवाड़ा 2025”

(एल.आर. एक्ट 1956, की धारा 131 व 132 एवं  
भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के तहत)

135  
24/09/25

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
धोद, मु. सीकर।

द्वारा - श्रीमान् तहसीलदार महोदय धोद।  
विषय:- रास्तों के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भोड़पुरा पटवार मण्डल भोड़पुरा  
तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित एवं प्रचलित सार्वजनिक रास्ता का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	खसरा न. जिसमें से होकर रास्ता गुजरता है	रकबा	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ता के काम आ रहा है	नाम खातेदारान्	वि.वि.
1	201	3.26	का.	0.0820	संलग्न पत्रानुसार	
2	202	6.59	का.	0.0900	"	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	श्रीमान् जी भोड़पुरा पर रास्ता चलाए है उक्त रास्ता सार्वजनिक व प्रचलित रास्ता है।					

प्रस्तावित / प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में पेन्सिल/ लाल स्याही से दिखाया गया है, उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

27/06/25  
हस्ताक्षर हल्का मण्डल  
पठ-भोड़पुरा

R-654  
24/7/25

रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक वृत्त ..... दिनांक 21/12/21

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रचलित सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किए जाने बाबत प्रस्तावित है। 21/12/21

हस्ताक्षर भू.अ.नि. वृत्त ..... दिनांक 27/6/25

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) धोद  
क्रमांक: भू.अ./शिविर/2025/1433

दिनांक: 17/7/25

प्रस्ताव राजस्व ग्राम ..... पटवार मण्डल ..... तहसील  
धोद के ख.नं. ....

में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.)  
धोद जिल्हा सीकर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धोद, मु. सीकर  
क्रमांक: राजस्व/शिविर/2021/  
प्रेषिति :- तहसीलदार धोद,  
मु. सीकर।

दिनांक:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग एवं मौके पर चालू व तहसीलदार धोद से अभिशंसित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में पृथक खसरा नम्बर से अंकित किये जाने तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद के आदेश प्रसारित किये जाने हेतु प्राप्त रास्ता प्रस्ताव को, शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.3(17) राज-6 /2021पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 के अधीन तथा एल.आर. एक्ट 1956, की धारा 131 व 132 एवं भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ता परिपत्र के निर्देशानुसार संबंधित खातेदार के खातेदारी में बना रहेगा तथा रास्ता प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी धोद,  
मु. सीकर

